पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक / कार्मिक
गोरखपुर

सं. NER-HQ0PERS(SELE)/7/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER (77235) दिनांक 15.07.2022

1. अपर महाप्रबन्धक / वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक / सचिव / महाप्रबन्धक / गोरखपुर।
2. प्रमुवाप्र / मुवाप्र / एफएम / महाप्रबन्धक / विधि / गोरखपुर।
3. उपमुसताधि / याता0 / उपमुवाप्र / पीएस / उपमुदाधि / उपमुवाप्र / यूटीएस / प्रेजेटिंग अधि0 / गोरखपुर।
4. मंरेप्र / वमंकाधि / वमंवाप्र / मवाप्र / इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
5. वकाधि / निर्माण / गोरखपुर एवं सदस्य तकनीकी, रेल दावा अधिकरण / गोरखपुर,लखनऊ,पटना।
6. महाप्रबन्धक / मुकाधि / आर ई / इलाहाबाद एवं सी पी एम / आर ई / गोरखपुर एवं लखनऊ।
7. महानिदेशक / आर डी एस ओ / लखनऊ ।
8. महानिदेशक / इरीटम / लखनऊ।
9. उपमुकाधि / मुख्या / गोरखपुर / टीसीओ एवं सांख्यकीय अधिकारी / विधि अधिकारी / गोरखपुर।
10. सचिव / स्था0 / रेलवे बोर्ड / नई दिल्ली।
11. सलाहकार, निदेशक / सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
12. मैनेजिंग डायरेक्टर कारपोरेशन, नई दिल्ली एवं मिल रेल, सेना भवन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
13. महाप्रबन्धक,प्रमुकाधि / प्रमुवाप्र / पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
14. प्रिसिपल / एम एस टी सी / गोरखपुर एवं रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय– सहायक वाणिज्य प्रबंधक (ग्रुप–बी) 30प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (एलडीसीई) कोटा के विरूद्ध चयन के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विभाग के सहायक वाणिज्य प्रबंधक (ग्रुप–बी) की 30 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु दो (02) अनारक्षित पदों की नामिका बनाने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा (एलडीसीई) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लिखित परीक्षा का समय, तिथि व स्थान बाद में सूचित किया जायेगा। इस अधिसूचना को उपरोक्त परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए पूर्व सूचना समझा जाय। पात्रता हेतु कटआफ दिनांक 01.07.2022 होगा।

1. **पात्रता–**

30 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जिसमें वाणिज्य अनुभाग में कार्य करने वाले गैर लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारी और ऐसे लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारी जो वाणिज्य अनुभाग में काम कर रहे हो और वहां आगे तरक्की की इच्छा जाहिर की हो, बैठ सकते हैं जो संशोधित वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर–6 (रू. 35,400–1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में हो और जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 05 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो, से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और सेवा के अभिलेख का निर्धारण सम्मिलित होगा) द्वारा भरी जाएंगी। यह 05 वर्ष की सेवा आपरेंटिस अवधि जोड़कर मानी जाएगी।

2. **लिखित एवं मौखिक परीक्षा की योजना–**

a. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी) 2022 / 2 / 4 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार लिखित परीक्षा मे कुल 150 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, जिसके अंको का वितरण निम्नवत है–

प्रश्नपत्र का विषय	कुल अंक
तकनीकी विषय	80 अंक
सामान्य ज्ञान जिसमें राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित 15 अंको के वैकल्पिक प्रश्न शामिल हैं	40 अंक
स्थापना एवं वित्तीय नियम	30 अंक
कुल अंक	150 अंक
अर्हक अंक (क्वालीफाईंग मार्क)	90 अंक

b. मास्टर सर्कुलर–68 के पैरा–10.6 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10 प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होगें, परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होगें।

c. परीक्षा का समय 03 घन्टे निर्धारित है। प्रश्न पत्र में कुल 175 प्रश्न होगे, जिसमें से 150 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई (1/3) अंक काटा जायेगा।

d. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को चिकित्सा जॉच में फिट पाये जाने के उपरान्त मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा एवं मेरिट के अनुसार पैनल बनाने का प्रावधान है। पैनल में स्थान पाने हेतु डीएआर/एसपीई/सतर्कता मामलो से मुक्त होना अनिवार्य है।

3. **चयन पूर्व प्रशिक्षण–**

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0–ई(जीपी) 2010/2/39 दिनांक 28.08.2019 एवं आरबीई सं0–142/2019 के अनुसार चयन पूर्व प्रशिक्षण नही दिया जाना है।

4. **विकल्प प्राप्ति की अन्तिम तिथि–**

a. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक–अ पर आवेदन **दिनांक 29.07.2022** तक अपने नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत कर देवें।

b. नियंत्रक अधिकारी **दिनांक 29.07.2022** तक प्राप्त सभी आवेदनो को **दिनांक 01.08.2022** तक सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करा देवें।

c. सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी आवेदन में भरे गये सभी सूचनाओं की जॉचकर यह सुनिश्चित करें की सभी प्रविष्ठियॉ ठीक है एवं आवेदक इस चयन हेतु पात्र है। सभी पात्र अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्रों को **दिनांक 05.08.2022** तक इस कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा देवें।

5. यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति आदि पर हों तो 30 प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ उनके वर्तमान पते पर पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जॉच व सत्यापित कर उप मुकाधि/राज को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय।

6. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाय। **सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी।**

7. कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें।

संलग्नक/अनुलग्नक–अ, ब (सेलेबस)।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

सचिव/प्रमुवाप्र/गोरखपुर–कृपया सभी मंडलों एवं यूनिटों आदि को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।

RAJESH KUMAR PANDEY
Digitally signed by RAJESH KUMAR PANDEY
Date: 2022.07.15 19:26:04 +05'30'

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

अनुलग्नक–अ

Photograph

(To be attested by Controlling Officer)

महाप्रबन्धक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषयः– सहायक वाणिज्य प्रबंधक ग्रुप–बी 30 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध चयन।
संदर्भः– महाप्रबन्धक / कार्मिक द्वारा जारी अधिसूचना सं. NER-HQ0PERS(SELE)/7/ 2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER (77235) दिनांक 15.07.2022।

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मै उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता / देती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है–

नाम	हिन्दी में . . . . . अंग्रेजी के बडे अक्षरों में . . . . .
पिता / पति का नाम	अंग्रेजी के बडे अक्षरों में . . . . .
पद एवं कार्यस्थल	
मंडल / ईकाई	
नियंत्रक अधिकारी	
जन्मतिथि	
पी.एफ.नं	
मोबाईल नं0	
पति / पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है	. . . . . (हाँ / नहीं)
समुदाय (अजा / अजजा / अनारक्षित)	
शैक्षणिक योग्यता	
रेल सेवा में प्रथम नियुक्ति	पद . . . . . ग्रेड पे0 . . . . . नियुक्ति तिथि . . . . . प्रशिक्षण अवधि . . . . .
वेतनमान (पीबी–2 +ग्रेड पे रू.4200) में नियमित नियुक्ति	पद . . . . . ग्रेड पे0 . . . . . नियुक्ति तिथि . . . . . दि.01.07.21 को सेवा अवधि–वर्ष.....माह.....दिन.....
वर्तमान पद	पद . . . . . ग्रेड पे0 . . . . . नियुक्ति तिथि . . . . . दि.01.07.21 को सेवा अवधि–वर्ष.....माह.....दिन.....

मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचना / घोषणा सत्य एवं सही हैं, यदि कोई सूचना / घोषणा गलत पायी जाती है तो उपरोक्त चयन के किसी भी स्टेज में मुझे अपात्र घोषित कर दिया जाए।

दिनांक ..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गयी उपरोक्त सेवा विवरण एवं घोषणा को जाँचा गया एवं सही पाया गया है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर

(2)

Financial and Establishment Rule:

I. Establishment Rule:

Personnel Management

1. Organisation of the personnel department in the Railway. The objectives of the Personnel Department functions and policies of the Personnel Department. Rules of the Personnal Officers in the Head Quarters and on the division.
2. Classification of service recruitment to the different services Gr.'A' to 'D' -Recruitment of artisan staff-special reservation in Railway Services, Rules of the Railway Service Commissions in Recruitment – Recruitment other than through usual channels- Promotion policy and Methods.
3- Personnel Supervisions – Leadership styles, Formal and informal leadership, leadership qualities, different leadership styles Domestic or participative leadership style , advantage of participations, Joint councils of Management, Negotiating machinery scheme, Zonal and Divisional Corporate Enterprise Group.
4- Inspection of Locoshed , C&W Depots stations Engineering offices.

LABOUR RELATIONS & WELFARE UNION AND THEIR RULES:

1. Important Rcognised Trade Union in Railways, Roll of Un-rcognised Union and mthods of dealing with them.
2. Industrial dispute and the legislative frame – work, causes of Industrial disputes, basic ramedies, the industrial disputes Act-1947, Strike, Lock-outes and lay off s, Handling of Griavances at Divisions and in the Head Quarters, Handling or Griavances by Labour unforcement officers.
3. The hours of employments regulations, Overtime, Job Anlysis and its technics.
4. The Factories Act, Special Rules for workshop staff in the Railway.
5. The Worksmens compensation at – Ex-gratia Payment, Incentive Bonus Scheme.

WELFARE

6. Pass Rules.

7. Retirement benefits under the Provident Fund and Pension Scheme, Final Settlement.

8. Welfare for the whole family of Railwaymen, Concept and practice obtaining on theRailway.

II. FINANCIAL RULES:

1. Parliamentry Controll over Railway finance- Public Accountability canons of Financial Propriety .
2- Financial Planning and Budgetting – Budgetori and Financial, Reviews – Appropriation Accounts.
3. Rules of Allocations – Classifications of Expenditure Controll over Expenditur- Responsibilty Accounting – Performance Budgeting- Ex chequer General Financial Results of Working.
4. Works Programme – Financial Justifications of Work – Survey Preparation of Estimates – Capital Budget – Controll over Capital Expenditure – Productivity Test.
5- Financial Controll over Stores Expenditure= Purchase and Stores Keeping procedure – Inventory Controll and ABC.
6- Financial and Cost Controll in Railway Workshop.
7- Rules and Procedure relating to Tenders and Contracts for execution of work and procurement of Store.
8- Procedure of processing and finalizing the Audit objecrtions and drop paras.
9- Delegation of Powers.
10- Lesses, Frauds and embazzlements.

II. RECOMMENDED READING (FINANCIAL RULES)

1. Indian Railway General Code – Volume-I & II (Chapter-III, IX,XVII)
2- Indian Railway Code for Accounts Department Pt.(Chapter-VIII)
3- Indian Railway Administrations & Chapter-III, V, VII & VIII Finance-An introductions- Ist Edition.
4- Indian Railway Code for the Engineering Department Chapter-II to V, IX to XIV.
5- Indian Railway Code for the Stores Departments . Excluding Chapter-XV to XXX and XXXII.
6- Report of the test. Force on Budgetary – First and Accounting and Management practices on Second Reports Railways.
7- Report by the Committee on Technique of Financial Appraisal of Railway Projects.
8- Indian Railway Code for Mechanical Department Chapter-VIII to XII

A questions on official language policy and official language rules will also be included in the paper and General Knowledge.

PAPER-IV

PROFESSIONAL SUBJECT:

I. Marketing and Sales Activities at the level of divisions and headquarters-claim prevention and claims statistics Public Relations on Railways Public complaints and their disposal-liability of railways in case of accident to a passenger train.

II. Constitution and functions of various consultative committees at National, Zonal and Divisional level.

III. Liability of Railways Carriers of goods and animals.

IV. Catering and vending services.

V. Indian Railway Conference, Association- its functions-Railway Rates Tribunal and its functions.

VI. Commercial Statistics-their usefulness.

VII. Indian Railway Act-Chapter relating to Traffic facilities working of Railways, responsibility of Railways as carriers and penalties and offenses.

- - -

SYLLABUS

PROFESSIONAL SUBJECT:

1. Acceptance and booking of traffic-forwarding notes-acceptance of small and wagon load traffic-direct/in-direct loading systems-acceptance of indents allotment of wagon clearance of smalls packing and special condi tions compulsory packing condition minimum weight condi-tions weightment/re-weighment of goods-declaration of goods differential rules-classification of goods- rating and routing of traffic classification of commodities-station to station rate-different charges, viz, wharfage, demurrage-crane percentage etc. expected articles booking of animals-booking of dangerous and offensive goods.

2. Sealing and labelling of wagon-delay in transit-diversion of wagons load traffic-disposal of seal defective wagons transport of smalls traffic repacking sheds and transhipment points.

Delivery of consignments undercharges-over-charges refund of over-charges-delivery of consignments-gate pass system delivery of consignment short of destination-disposal of consignments over-carried disposal of unclaimed and unconnected consignments.

Ancillary services-out agencies-City Booking Offices-street collection and street delivery system Quick transit service-Freight forwarder scheme-container service railroad coordination.

3. Siddings-Assisted and private sidings-siding charges.

GENERAL KNOWLEDGE:

It should contain questions on subjects of interest as well as importance. The questions should be based as to test the knowledge of candidates, which they would acquire by general observation/reading without specific study or detailed knowledge of text books. The paper should also contain question on topics of national importance, achievements of Railways as also questions which will test the awareness of candidates to developments which are taking place. A few questions on official language policy and official language rules, will also be asked.

10% of the total marks allotted for testing the Professional ability will be set a part fro question on the official language policy and official language Rules. However, these questions will not be compulsory for candidates.